



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 8 बजट (1) 15/2025..... 146/2025 आ०

दिनांक- 18/02 /2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

विशेष उप निदेशक,
प्रोजेन सिमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-02, राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, 0108 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्रकोड 02-2403001010108, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0112-पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्रकोड 02-2403007890112, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 0131 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्रकोड 02-2403007960131 के अन्तर्गत कुल ₹18,89,79,300/- (अठारह करोड़ नवासी लाख उनासी हजार तीन सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या 477 दिनांक 12.02.2024 एवं तत्संबंधी शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2062 दिनांक 18.06.2024 तत्क्रम में पशुपालन निदेशालय का आदेश ज्ञापांक 1529 (नि०) दिनांक 16.04.2025 के आलोक में एवं पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 48 (नि०) आ० दिनांक 18.08.2025 के क्रम में निम्न तालिका के अनुसार व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 18,89,79,300/- (अठारह करोड़ नवासी लाख उनासी हजार तीन सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	विपत्र कोड- 02-2403001010108			विपत्र कोड- 02-2403007890112			विपत्र कोड- 02-2403007960131			कुल आवंटित राशि (रुपये में)		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	28 02- सविदा सेवाएँ	10,23,00,500	5,50,85,500	15,73,86,000	2,72,80,400	1,46,89,600	4,19,70,000	68,19,400	36,72,600	1,04,92,000	13,64,00,300	7,34,47,700	20,98,48,000
2	31 06- सहायक अनुदान- गैर वेतन	16,09,16,800	8,66,48,200	24,75,65,000	4,29,10,400	2,31,06,600	6,60,17,000	1,07,27,200	57,76,800	1,65,04,000	21,45,54,400	11,55,31,600	33,00,86,000
योग-		26,32,17,300	14,17,33,700	40,49,51,000	7,01,90,800	3,77,96,200	10,79,87,000	1,75,46,600	94,49,400	2,69,96,000	35,09,54,700	18,89,79,300	53,99,34,000

अठारह करोड़ नवासी लाख उनासी हजार तीन सौ।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०- 02, राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, 0108 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्रकोड 02-2403001010108, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0112-पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्रकोड 02-2403007890112, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 0131 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्रकोड 02-2403007960131 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन राज्य स्कीम सात निश्चय-2 के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप डेलिवरी) सेवा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के लिए दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, 227/वि०, दिनांक 28.03.2025, पत्रांक 235/वि०, दिनांक 01.04.2025 एवं पत्रांक 950/वि० दिनांक 12.12.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 15/2025..... 14/02/2025 आ०

पटना-15, दिनांक 18/02/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी0ए0- 57-96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा-09/योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।